प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01265/2022-2023

दिनांक 27/09/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/ALL/10735 /2022-2023   पत्रावली संख्या:AL-15479   दिनांक:2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डवलपमेण्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, 18ए आकलैण्ड रोड, प्रयागराज, 211001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 242/2002-03 दिनांक-25/09/2002 को दिनांक-25/09/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
AC43DB175E59C493BAF1E4D3DAA45BDBF18B5D2D
Date: 27/09/2022 6:36:16 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-27/09/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक......013674

प्रारूप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 3719 दिनांक 26/05/2017

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
1169	ए०एल०—15479	2002-2003

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .... उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डवलपमेण्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, 18ए आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद ....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र 242/2002—03 दिनांक 25-09-2002.... को दिनांक

25-09-2017..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

......1000......................रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक......20-09-2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सो० फर्म एवं चिट्स—21—11—2014—(1374)—2,00,000 प्रतियां—(क० / टी० / आफसेट)।

संख्या–3744 दिनांक–26.09.2012

उत्तर प्रदेश सरकार

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या 995 / 2012–13

फाइल संख्या Al-15438

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एल्लोविएशन 18 ए आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 1242 / 02-03

दिनांक 25-09-02 को दिनांक 25-09-12 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000/– रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 23.09.2012

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Society Registration

संख्या 3351
30/10/07

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 800 2007

पंजीकरण संख्या I AL-15479

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, 18 ए फाकलैण्ड रोड, इलाहाबाद को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1242/2002-2003 दिनांक 25-09-2002 को दिनांक 25-09-2007 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

260/रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 29-10-2007

सोसाइटीज के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।
29/10/07

पी०एस०यू०पी०—...—(1352)—50,000—...

संख्या 3253 पत्रावली सं०-1 AL-15479 दिनांक 25-9-02

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1242 2002 2003

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, 18 ए आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 24-9-2007 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक पच्चीस सितम्बर दो हजार दो को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश। 25.9.02

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 3 फर्म्स निबन्धक—23-6-200—(511)—46,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

संख्या 3353 पत्रावली सं०-1 AL-15479 दिनांक 25-9-02

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1242 2002 — 2003

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, 18 ए आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 24-9-2007 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक पच्चीस सितम्बर दो हजार दो को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ता०/ अपठित,

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।
25-9-02

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 3 फर्म्स निबन्धक—23-6-2001—(511)—46,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

स्मृति पत्र

संस्था का नाम : उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

संस्था का पता : 18 ए आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद (उ0प्र0)

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

उद्देश्य :

(1) संस्था के अन्तर्गत पर्यावरण / ग्रामीण / नगरीय विकास / मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम का संचालन करना,रोजगार पूरक (कम्प्यूटर आदि) प्रशिक्षण देना तथा स्वतः रोजगार स्थपित कराके स्वावलम्बी करना।

(2) महिला–बाल विकास हेतु डे केयर सेंन्टर, हस्तकला (कढ़ाई, बुनाई,मूंज के समान बनाना आदि) स्वरोजगार पूरक प्रशिक्षण,(कम्प्यूटर आदि) शिक्षण की व्यवस्था करके आत्म निर्भर बनाना तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। बच्चों का बचपन लौटाने के लिये उनके मनोरंजन,स्वास्थ्य, शिक्षा व साहसिक कार्यक्रमों के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करना।

(3) शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बच्चों / युवकों / प्राढ़ को आत्म निर्भर बनाने के लिये शिक्षा, स्वरोजगार पूरक प्रशिक्षण निःशुल्क चिकित्सा पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करना तथा कुष्ठ, अपाहिज एवं सकामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित लोगों की चिकित्सा व्यवस्था व पुर्नवास करना।

(4) स्वर्णजयन्ती रोजगार योजना, उद्यमिता विकास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि स्वरोजगार पूरक शिक्षण–प्रशिक्षण देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

(5) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना इसके लिये चेरिटेबिल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था करके आर0 सी0 एच0 प्रोग्राम, टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच व उपचार तथा प्राकृतिक परिवार कल्याण इत्यादि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

Anil Tripathi KKlewak Kamala tiwari

30-9-02

(6) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतो, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, कानूनी सलाह, बधुवा मजदूर उन्मूलन, दहेज उन्मूलन मद्यनिषेद्य, महिलाओं को समानता का अधिकार, पंचायती राज शासन द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित समस्याओं के निदान के लिये व योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिये जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों का कियान्वयन करना।

(7) केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को कियान्वयन करने के लिए एजेन्सी के रूप में कार्य करना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि विपणन तथा उत्पादन के क्षेत्र में अनुसन्धान करना तथा परीक्षण का कार्य करना।

(8) बढ़ती वेश्यावृती को रोकने का प्रयास करना इस कार्य में लिप्त लोगों के पुर्नवास शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा एड्स के प्रति जागरूक करना।

(9) पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधार, जन–जागरण अभियान, शौचालय/सार्वजनिक काम्लेक्स निर्माण, स्वच्छ जल आपूर्ति आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार प्रशिक्षण कियान्वयन करना।

(10) समाज के निर्बल एवं वेरोजगार लोगों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग संचालित कार्यक्रमों को स्थापित एवं सफल बनाने का प्रयास करना। जिसमे खादी तथा ग्रामोद्योग का उत्पादन तथा विकी करना इससे प्राप्त होने वाली मार्जिन संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं चेरिटेबिल कार्यो में खर्च करना। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना करके स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना।

(11) संस्था के आधार पर बैंक व्यवस्था करके स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करना। स्वतः सहायता समूह गठित करके अल्पबचत को बढ़ावा देना तथा सामूहिक व्यक्तिगत कुटीर/इन्कम जनरेटिंग कार्यकम के लिए प्रेरित करना इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष्ट, नाबार्ड तथा सिडबी इत्यादि से ऋण/अनुदान प्राप्त करके व्यक्तिगत/सामूहिक कार्य के लिए लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग देना।

(12) जीव–जन्तुओं के प्रति संवेदनशील बनना तथा बनाना, पशु उत्पीड़न रोकना व उनके चिकित्सा, पुर्नवास की व्यवस्था करना। विलुप्त हो रहे जीव–जन्तुओं के संवर्धन व संरक्षण हेंतु प्रयास/अनुसंधान करना।

सत्य प्रतिलिपि

Anil Tripathi KKTewari Surendra Kumar

Kamana Tiwari

30-9-02

(13) विज्ञान का जीवन में उपयोग के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाना, तकनीकी पर आधारित कम लागत में भवन/आवास, कृषि यंत्रों/दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण, प्रशिक्षण व्यवस्था करना व अनुसंधान करना तथा तकनीकी स्थानान्तरण व प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करना।

(14) मौन पालन/पशुपालन/मत्स्य पालन के बारे में लोगों को अवगत कराना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मत्स्य पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना तथा मत्स्य पालन के लिये तालाबों का पट्टा सम्बन्धित विभाग से करवाने का प्रयास करना। मत्स्य पालन एवं उसकी आय से उद्देश्य पूर्ति, चेरिटेबिल कार्य व समजिक कार्य करना।

(15) आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति तथा थारू समुदाय के समाजिक शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करना तथा उन्हें कानूनी सलाह प्रदान करना।

(16) समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रोद्योगिक मंत्रालय, कपार्ट इत्यादि/केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के कार्यकमों को कियान्वित करना। कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलाई जा रही है योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिये (सेतु) का कार्य करना। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेल कूद मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय)

(17) विद्यालय, वचनालय, निःशुल्क औषधालय, अनाथालय, व्यायामशाला, ओल्ड–एज होम गौशाला इत्यादि का निर्माण करना तथा व्यवस्था करना।

(18) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट, महाविद्यालय इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा जन शिक्षण संस्थान की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना तथा निर्धन छात्र–छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके लिये प्रतियोगी पाठशाला, मदरसा आदि की व्यवस्था करना। सभी के लिये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकि शिक्षा प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि

Kamana Tiwari

30-9-02

(19) संस्था का मुख्य उद्देश्य गैर लाभकारी (चेरिटेबिल) संस्था के रूप में सम्पूर्ण आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक कार्य पर व्यय करना तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु सरकारी अर्द्ध सरकरी रचनात्मक संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों केन्द्रीय/राज्य सरकारों बैंक से दान–अनुदान तथा चल–अचल सम्पत्ति व ऋण प्राप्त करना तथा उनका उपयोग संस्था के उद्देश्य पूर्ति में करना।

(20) कार्यक्षेत्र में विज्ञान, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास करना एवं श्रमिक, महिला दलित, आदिवासी समुदाय, युवको व बच्चों के शैक्षिक, सामजिक सांस्कृतिक चारित्रिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विकास करना। इस कार्य हेंतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाना तथा अनके कियान्वयन हेतु कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत संस्था की शाखाओं, केन्द्रों, संस्थाओ को खोलना तथा चलाना।

(21) कार्यक्षेत्र में ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना,आदर्श नागरिक/कृषक बनाना। इसके लिये कृषि की आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी देना प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर प्रदान करना निःशुल्क साहित्य उपलब्ध कराना।

(22) व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, शिक्षा, प्रचार–प्रसार के लिये केन्द्रों को खोलना तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(23) स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहयोग करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, साहित्य उपलब्ध करना एवं अनुसंधान कार्य करना।

(24) हस्तकला प्रशिक्षण (कढ़ाई–बुनाई, मूंज के समान इत्यादि) के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करना। -

(25) प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैसे इनजीनियरिंग, मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर एप्लीकेशन, पर्यावरण, एग्रीकल्चर, मेडिकल एजजूकेशन, डेन्टल साइन्स डेवलपमेन्ट आफ स्किल्स (आर्ट, काफ्ट, मोटर मैकेनिक, बेल्डिग) में सर्टीफिकेट लेवल, एवं डिग्री एवं मास्टर डिग्री लेवल कोष के लिए संस्थान/कालेज की स्थापना करना।

(26) एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर, फारेस्ट्री, इन्डस्ट्री, शहरी एवं ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विकास से सम्बन्धित योजनाओं पर कन्सलटेन्सी तथा शिक्षा एवं ट्रेनिग की सुविधा प्रदान करना।

Anil Tripathi KKtewari Kamana tiwari

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

30-9-02

(27) उपरोक्त कार्यों के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी, इन्डस्ट्री तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों संस्था के हित के लिए उपर्युक्त हो से वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

(28) वे सभी कार्य करना जो सोसइटी पंजीकरण अधिनियम 21 1860 के अन्तर्गत निहित है।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों / पदाधिकारियों का नाम, पता, व्यवसाय तथा पद जिन्हें समिति के नियमावली के अनुसार कार्यभार सौपा गया हैं।

क्र0सं0 नाम	पुत्र	पता	व्यवसाय	पद
1 डा. डी.एन.तिवारी	स्व0 वी. बी. तिवारी	16ए आर्कलण्ड रोड इलाहाबाद	सदस्य योजना आयोग भारत सरकार।	अध्यक्ष
2 डा. सुरेन्द्र कुमार	स्व0एस.एन.तिवारी	बी / 304त्यागराज कालोनी, वाराणसी	नौकरी	उपाध्यक्ष
3 डा. कौशल कुमार	स्व0 शम्भू नाथ	102 बी / 3 बेनीगंज इलाहाबाद	सामाजसेवी	सचिव
4 डा. आरती त्रिपाठी	पत्री आशुतोष त्रिपाठी	52 ए जवाहर लाल नेहरू रोड इला.	गृहणी	संयुक्त सचिव
5 राम आसरे यादव	स्व0 एस. एस यादव	7 / 2 शम्भू स्टेट इलाहाबाद	नौकरी	सदस्य
6 कामना त्रिपाठी	धीरेन्द्र कुमार	109 ई / 2 बेनीगंज इलाहाबाद	गृहणी	सदस्य
7 राकेश कुमार	पुत्र बद्रान प्रसाद शुक्ल	ग्रा0किय वेडरा प्रतापगढ़	नौकरी	सदस्य

हम निम्न लिखित हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति--पत्र के अनुसार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के 21ए1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते है।

दिनांक 20.9.02

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
30-9-02

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
30-9-02

नियमावली [redacted] पत्र

संस्था का नाम : उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

संस्था का पता : 18 ए आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद (उ0प्र0)

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक सहकारिता एवं चिट्स उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद

संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो तथा संस्था के उद्देश्यों में विश्वास रखता हो,बालिग हो, नियमावली के अनुरुप आचरण के वचनबद्ध हो, संस्था के सचिव के नाम सदस्यता हेतु लिखित आवेदन करके सचिव की संस्तुति के पश्चात संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है । सभी सदस्य को रू0 10/- पंजीकरण शुल्क (केवल एकबार) आवेदन पत्र के साथ देना होगा। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नये सदस्य बनाये जायेंगे।

(अ) संस्थापक सदस्यः—

(क) जो व्यक्ति रू0 10,000/— नकद या चल/अचल सम्पत्ति एक मुश्त दान देगा। वही संस्था का आजीवन संस्थापक सदस्य बन सकता है। इसके लिए भी सचिव की संतुस्तति आवश्यक है।

(ख) सभी संस्थापक सदस्य संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। उनके त्याग पत्र देने या मृत्यु होने की स्थिति मे रिक्त स्थानों की पूर्ति उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों में से सचिव/प्रबन्धकारियों के अनुमोदन पर चयन किया जायेगा।

(ब) आजीवन सदस्यः

जो संस्था को रू0 5000 (पांच हजार मात्र) एक मुश्त चल/अचल सम्पत्ति या नगद धनराशि देगा, उसे सचिव व प्रबन्धकारिणी की संस्तुति पर आजीवन सदस्यता प्रदान की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

Kamana tiwari

30-9-02

(स) **सामान्य वार्षिक सदस्यः–**

जो व्यक्ति संस्था 24/– प्रति वर्ष या रू0 2/– मासिक देने पर संस्था की साधारण वार्षिक सदस्यता प्रदान किया जायेगा।

(द) **विशेष सदस्यः–**

जो व्यक्ति संस्था के हित में कार्य करेगा, उसे सचिव द्वारा मनोनीत करके विशेष सदस्यता प्रदान किया जायेगा। इनका कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा। किसी भी स्थिति में इनकी संख्या 11 से अधिक नही होगी। इसमें 5 सदस्य स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं से एक महिला, एक अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग से होना आवश्यक है। इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा।

(5) **सदस्यता की समाप्तिः–**

(क) मृत्यु होने पर, पागल, कोढी, दिवालिया होने जाने पर,न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक कार्य में दंडित होने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर लगातार 3 बैठकों में बिना उचित कारण बताये अनुपस्थित रहने पर, तीन माह तक लगातार शुल्क नही जमा करने पर, त्याग पत्र देने पर या प्रबन्धकारिणी/साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकर होने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

(ख) संस्थापक सदस्यों/आजीवन सदस्यों की सदस्यता, मृत्यु होने पर या स्वतःत्याग पत्र देनपर समाप्त होगी।

(6) संस्था के अंगः–

(क) साधारण सभा

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(7) **साधारण सभाः–**

(अ) गठनः संस्था के सभी सदस्यों (संस्थापक सदस्य, आजीवन सदस्य, सामान्य वार्षिक सदस्य एवं विशेष सदस्य) को लेकर साधारण सभा माना जायेगी।

(ब) बैठकः साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के अनुमोदन पर या 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित माग पर बुलाई जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

121 Anil Tripathi KKTewari Kamana Tiwari

30-9-02

(स) सूचना अवधिः साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 48 घंटा पूर्व प्रसारित की जायेगी।

(द) गणपूर्ति : कुल सदस्यों का 2/3 गणपूर्ति मानी जायेगी। प्रथम सूचना प्रसारित होना यदि गणपूर्ति नही होती तो सचिव द्वारा दूसरी सूचना भेजकर एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक बुलायी जायेगी, जिसमें उपस्थित सदस्यों को ही गणपूर्ति (कोरम) मान लिया जायेगा।

(च) विशेष वार्षिक अधिवेशन : संस्था एक विशेष वार्षिक अधिवेशन अयोजित करेगी। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी द्वारा निश्चित की जायेगी।

(छ) साधारण सभा के कार्य : प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना वार्षिक रिपोंट, बजट का अनुमोदन करना, नियमावली, स्मृतिपत्र में संशोधन करना। अन्य उन सभी विषयें पर निर्णय लेना, जिस पर प्रबन्धकारिणी समिति निर्णय नही ले सके ।

7. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठनः साधारण सभा के द्वारा ही प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव होगा। जिसमें पदाधिकारी व सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 7 से अधिक नही होगी। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1.अध्यक्ष (एक) 2. उपाध्यक्ष (एक)

3. सचिव (एक) 4. ~~कोषाध्यक्ष~~ प्रबन्ध सचिव (एक)

5. कार्यकारिणी सदस्य (तीन)

संस्था की प्रबन्धकारिणी के लिए संस्थापक सदस्य, आजीवन सामान्य तथा विशेष सदस्यों में एक–एक प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। अजीवन/विशेष सदस्य उपलब्ध नही होने की स्थिति में उसकी पूर्ति संस्थापक/सामान्य सदस्यों में से किया जायेगा।

(ब) बैठकः प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठकों का आयोजन वर्ष में तीन बार होना आवश्यक है। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती हैं।

Arti Tripathi KKDwedi Surendra Kumar
Byendhra Kamana tiwari

प्रतिलिपि

30-9-02

(स) सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठको की सूचना 5 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 24 घण्टा पूर्व प्रसारित करना आवश्यक है।

(द) गणपूर्ति (कोरम) : कुल पदाधिकारियों एवं सदस्यों का 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति(कोरम) मानी जायेगी। प्रथम बैठक में गणपूर्ति नही होने पर सचिव तीन दिन के भीतर पुनः बैठक बुलायेगा, जिसमें उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या को ही कोरम माना जायेगा।

(च) रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्ध कारिणी समिति में हुए आकिस्मक रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी के वर्ग के सदस्यों द्वारा या उसी वर्ग के सदस्य उपलवध नही होने पर सामान्य सदस्यों में से, ~~सचिव~~ साधारणसभा द्वारा किया जायेगा। जिसका अनुमोदन चार माह के भीतर प्रबन्धकारिणी / साधारण सभा द्वारा होना आवश्यक है।

(छ) प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य :

(1) समिति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करना, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना, संचालन करना व प्रबन्ध करना।

(2) कार्यकमों के कियान्वयन करने के लिए वैतनिक / अवैतनिक कार्यकर्ताओं / कर्मचरियों की नियुक्ति करना।

(3) आवश्यकता के अनुसार सदस्यों को बढानें व सदस्यता समाप्त करने आदि का निर्णय लेना।

(4) संस्था के वार्षिक बजट व वार्षिक रिर्पोट को प्रस्तावित करना / अनुमोदन करना नियम उपनियम बनाना। संस्था के वित्तीय संसाधनों को जुटाना। चल–अचल सम्पत्ति का संग्रह करना। दान लेना व देना। निर्माण करना कय–विक्रय करना व अपनी संस्था की शाखाओं व केन्द्रो की स्थापना सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यकमों का कियान्वयन करना।

Anil Tripathi KKtewari Surendra Kumar
Kamana tiwari

सत्य प्रतिलिपि

30-9-02

(5) धन उपलब्ध होने पर सचिव/किसी सदस्य/पदाधिकारियों का मानदेय निर्धारित करना। कार्यक्रमों का संचालन करना तथा निर्णय लेना आय–व्यय के आर्थिक संसाधनों को बढाना आदि।

(झ) **कार्यकाल** : प्रबन्धकारिणी सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा। प्रत्येक पदाधिकारी/ सदस्य का कार्यकाल उसके उत्तराधिकारी चुने जाने तक होगा। विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी के अनुमोदन पर कार्यकाल एक वर्ष और बढाया जा सकता है।

9. **मताधिकारः–** सभी प्रकार के सदस्यों (संस्थापक/आनीवन/विशेष सहयोगी/सामान्य) को मत देने का अधिकार होगा।

10. **संस्था के आय के स्त्रोत :–**

संस्था के आय के निम्न लिखित स्त्रोत है।

1. दान, अनुदान, द्वारा एकत्रित आय।
2. सदस्यता शुल्क से अर्जित आय।
3. संस्था के आर्थिक संसाधनों से अर्जित आय।
4. व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि से प्राप्त अनुदान।
5. चल–अचल सम्पत्ति से अर्जित आय।
6. ग्राम पंचायत/ब्लाक/जनपद/प्रदेश स्तर भारत सरकार/विदेशी सस्थाओं से प्राप्त अनुदान।
7. प्रदेश सरकार, भरत सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त आय।
8. संस्था के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों/अनुभागों, वित्तीय निगमों, अकादमियों स्वायतशाषी संस्थाओं बोर्डो, निगमों शिक्षा विभागों, प्रौढ शिक्षा। निदेशालय,राज्य समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, यूनिसेफ, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खादी ग्रामोद्योग तथा वित्त पोषक स्रोतों से अर्जित आय जो दान/अनुदान या ऋण, के रूप में प्राप्त हो।

सत्य प्रतिलिपि

Anil Tripathi KKTewari Surendra Kumar
Kamana Tiwari
30-9-02

9. इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम से प्राप्त आय।

11. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्यः–

1. अध्यक्ष :

इसका चुनाव / संस्थापक / विशेष सहयोगी सदस्यों में से होगा। मत देने का अधिकार सभी वर्गो के सदस्यों को होगा।

कार्य : सचिव की संस्तुति पर समस्त प्रकार के बैठकों की तिथि का अनुमोदन करना / स्थगन / निरस्तीकरण करना। आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना। किसी विषय पर बराबर–बराबर मत आने पर अपने विशेष मत का प्रयोग करना, जो एक निजी मत के अतिरिक्त मत होगा।

2. उपाध्यक्ष :

इसका चुनाव सामान्य सदस्यों में से होगा। सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

कार्य : अपने अधिकारों का उपयोग करना। अध्यक्ष के लिखित निर्देशो के अनुसार कार्य करना।

3. सचिव :

इसका चुनाव केवल संस्थापक सदस्यों में से होगा। जिसे सभी वर्गो के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। यह प्रत्येक समितियों का पदेन सचिव होगा।

1. यह इस समिति व उसके द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का मुख्य कार्यपालक होगा।
2. सचिव ही इस समिति द्वारा संचालित संस्थाओ का प्रबन्धक / व्यवस्थापक होगा।
3. शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रशासन योजना व राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा संस्थाओं के सचिव / मंत्री या प्रबन्धक / व्यवस्थापक, निदेशक को प्राप्त होने वाले सभी अधिकारों का पालन व प्रयोग करना।

Anti Tripathi KKTewari Surendra Kumar
Kamana tiwari

प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

4. समस्त प्रकार की वित्तीय सहायता दान अनुदान चन्दे आदि निधियों को प्राप्त करना व उनकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करना। आय–व्यय का मदवार तिथिवार लिखनां वार्षिक बजट व वाषिक रिर्पाट तैयार करना, आडिट हेतु प्रपत्र तैयार करना।
5. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति विषयक अनुबन्धों, दस्तावेजों व शर्तनामों पर संस्था के प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना।
6. समस्त प्रकार के सदस्य बनाना उनका रिकार्ड रखना जिन सदस्यों द्वारा शुल्क राशि न जमा करायी गई हो उनका नाम सदस्यता सूची से हटाना।
7. संस्था के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
8. संस्था का प्रतिनिधित्व समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में करना या किसी को भेजना।
9. संस्था के समस्त रिकार्ड व रजिस्टर आवश्यक दस्तावेजों आदि को तैयार करना व उन्हे प्रमाणित करना।
10. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना व प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत करना।
11. संस्था का प्राप्त धन संस्था के खाते मे जमा करना व अपने हस्ताक्षरों से निकालना आदि। यदि शासन के किसी नियम या योजना के अर्न्तगत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होना अनिवार्य होगा, तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी/सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
12. संस्था द्वारा अथवा विरूद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाहीयों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
13. संस्था के पारित प्रस्तावों को कार्य रूप प्रदान करना।
14. नियम उपनियम बनाना।
15. संस्था के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना।

4. संयुक्त सचिवः

सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा, जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप में दिये गये हैं।

Arti Tripathi KKTewari Surendra Kumar
Kamana tiwari

सत्य प्रतिलिपि

30-9-02

5. प्रबन्धकारिणी सदस्यः–

1. इसका चुनाव सामान्य सदस्यों मे से होगा । मत देने का अधिकार सभी वर्गो के सदस्यों को होगा।
2. यह सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप से दिये गये हों।
2. इसका चुनाव सामान्य विशेष आजीवन व संस्थापक सदस्यों में से होगा।
4. इनका मुख्य कार्य कार्यक्रमों के कियान्वयन में अपना सुझाव व मत देना।
5. साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एव परिवर्तन करना।

12. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया :–

साधारण सभा के 2/3 बहुतम से संस्था के नियमों व विनियमों में संसोधन, परिवर्तन एवं परिवर्तन स्वीकार होगें।

13 संस्था का कोष :–

संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक/पोस्ट आफिस में संस्था के नाम बचत खाता (सेविंग एकाउन्ट) खोलकर जमा किया जाएगा। जिसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर से होगा। यदि शासन के किसी निय या परियोजना के अन्तर्गत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी या सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

14. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :–

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त का लेखा परीक्षण आडीटर/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

15. संस्था के अभिलेख :–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर

Arti Tripathi KKTiwari Surendra Kumar

Kamana tiwari

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

2 RS

INDIA

दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

AA-14479

30-9-02

2/ ता० 25-8 2002 ई०

निवासी ___ इलाहाबाद ___ जिला ___

को स्टाम्प विक्रय किया नंबर ___ 6629

स्टाम्प विक्रेता अनूप कुमार आर्य सचान

दीवानी कचेहरी परिसर इलाहाबाद

ला० नं० ३८१

R. K. Jaiswal

1Re

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

[illegible] उत्थान सेन्टर फॉर रसिस्टेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी
इला० शशी तिवेशल
स्मृतिपत्र
A.L.-14479

सहायक [illegible]

[illegible] निबन्धक
[illegible] ब्लॉक [illegible]
प. ज. [illegible]

30-9-02

9) ता० २५-८ २००२ श्री ______

निवासी ______ जिला ______

को स्टाम्प विक्रय किया नंबर ______ ६२२

स्टाम्प विक्रेता अनूप कुमार जायसवाल

दीवानी कचेहरी परिसर इलाहाबाद

ला० नं० ४८१

[signature]

2 RS

INDIA

दो रूपये

दो रूपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

सोसटेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड उत्थान ऐजूकेशन फॉर हिमालय रजिस्ट्रेशन Al-14479

30-5-02

२) ता० २५.८.२००२ श्री ....
निवासी .... जिला इलाहाबाद
को स्टाम्प विक्रय किया नंबर ....
स्टाम्प विक्रेता अनूप कुमार जायसवाल
दीवानी कचेहरी परिसर इलाहाबाद
ला० नं० ३८१

1Re

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर सेन्टर फॉर
सक्सेना विल डेवलपमेन्ट एवं पालती रशीलिकेशन
लिए मंगल No 14979

30-9-02

7/ ता० 24-5 २००2 ई०

निवासी आ. कल्लोड़ रोड जिला इला

को स्टाम्प विक्रय किया नंबर 628

स्टाम्प विक्रेता अनूप कुमार जायसवाल

दीवानी कचेहरी परिसर इलाहाबाद

ला० नं० ४८१

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AE 039169

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

यह नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर जनपद प्रयागराज पत्रावली संख्या 15479 प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

पंजीकरण नवीनीकरण वर्ष 2020-2021

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज

कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ इलाहाबाद मण्डल उत्तर प्रदेश-प्रयागराज

8/9/20

[illegible]ज्य का तिथि [illegible]

[illegible] करने का प्रयोजन उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिविएशन

[illegible] केता का नाम व पूरा पता [illegible]

[illegible] की धनराशि [illegible] 397

इकबाल अख्तर जैदी ला0 नं0 604
मार्च 2021 अवधि तक सिविल कोर्ट प्रयागराज

8/9/20

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन,
18–ए आकलैन्ड रोड, इलाहाबाद

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष – 2020–2021

कम संख्या	नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम
01	डॉ0 डी0 एन0 तिवारी	18–ए, आकलैन्ड रोड, इलाहाबाद	समाजसेवा	अध्यक्ष
02	ई0 अखिलेश तिवारी	डी–203 बी0पी0टी0पी0, फ्रीडम पार्क लाईफ, सेक्टर 57–ए गुणगांव, हरियाणा	नौकरी समाजसेवा	उपाध्यक्ष
03	डॉ0 कौशल कुमार	102 जी/3, बेनीगंज, इलाहाबाद	समाजसेवा	सचिव
04	डॉ0 आरती त्रिपाठी	52–ए, जे0 एल0 एन0 रोड, इलाहाबाद	समाजसेवा	संयुक्त सचिव
05	श्री राम आसरे यादव	7/2, शम्भू बैरिक, इलाहाबाद	समाजसेवा	सदस्य
06	श्रीमती कामना	109 ई/2, बेनीगंज, इलाहाबाद	समाजसेवा	सदस्य
07	श्री राकेश कुमार	ग्राम चकिया बड़ेरा, प्रतापगढ़	नौकरी समाजसेवा	सदस्य

कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, इलाहाबाद मण्डल, उत्तर प्रदेश-प्रयागराज

KKumar

Kamna tiwari

Akhilesh Tiwari

राम आसरे यादव

राकेश कुमार

Arti Tripathi

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियां
इलाहाबाद मण्डल
उत्तर प्रदेश-प्रयागराज

A.l. 15475
5-1-2021
18/5/2020

सहायक निबंधक ...
क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, 18–ए आकलैन्ड रोड, इलाहाबाद

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष – 2022–2023

कम संख्या	नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम
01	डॉ0 धीरेन्द्र कुमार	102 जी/3, बेनीगंज, प्रयागराज	समाजसेवा	अध्यक्ष
02	ई0 अखिलेश तिवारी	डी–203 बी0पी0टी0पी0, फ्रीडम पार्क लाईफ, सेक्टर 57–ए गुणगांव, हरियाणा	नौकरी समाजसेवा	उपाध्यक्ष
03	डॉ0 कौशल कुमार	102 जी/3, बेनीगंज, प्रयागराज	समाजसेवा	सचिव
04	डॉ0 आरती त्रिपाठी	52–ए, जे0 एल0 एन0 रोड, प्रयागराज	समाजसेवा	संयुक्त सचिव
05	श्री राम आसरे यादव	7/2, शम्भू बैरिक, प्रयागराज	समाजसेवा	सदस्य
06	श्रीमती कामना	109 ई/2, बेनीगंज, प्रयागराज	समाजसेवा	सदस्य
07	श्री राकेश कुमार	ग्राम चकिया बड़ेरा, प्रतापगण	नौकरी समाजसेवा	सदस्य

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक इलाहाबाद मण्डल उत्तर प्रदेश-प्रयागराज

Kamina tiwari राकेश कुमार KKumar

Akhilesh Tiwari Atiripathi

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज

15/10/22

Al-15479

[illegible]

प्रबंध समिति (सूची) 2022-23

[illegible]

[illegible] 06/10/2022

[illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

ACC Name-Jata Shankar Shukla ACC Code-UP1418540-
ACC Address-261C/355 Beli Gaon Prayagraj
Mobile-9335491747
Licence No. 341
Tehsil & District-Sadar, Prayagraj

Certificate No.	:	**IN-UP17174532888815U**
Certificate Issued Date	:	07-Oct-2022 12:41 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14185404/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14185404270599329363 32U
Purchased by	:	UTTHAN CENTRE FOR SUSTNABLE DEVELOPMENT AND POVER
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	NA
Second Party	:	UTTHAN CENTRE FOR SUSTNABLE DEVELOPMENT AND POVER
Stamp Duty Paid By	:	UTTHAN CENTRE FOR SUSTNABLE DEVELOPMENT AND POVER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन
15409
जनपद प्रयागराज
प्रबंध समिति
सूची 2022-23

13/10/2022

सहायक निबंधक समितियाँ, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश-प्रयागराज

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.